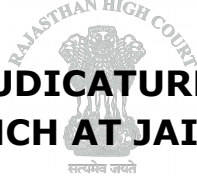


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2238/2019

1. Rajasthan State Road Transport Corporation, Sikar Through Manager, Sikar Depot, Sikar (Registered Owner Bus No. RJ-23-PA-4395)
2. The Managing Director, R.S.R.T.C., Parivahan Marg, Chomu House, C-Scheme, Police Station Ashok Nagar, Jaipur (Raj)
(Registered Owner Bus No. RJ-23-PA-4395)

-----Appellants/Non-Claimant No.2 &3
Versus

1. Sukharam S/o Shri Gheesaram, Aged About 35 Years, R/o Bawdi, Tehsil Nawa, District Nagaur.
-----Respondent/Claimant
2. Ramswaroop S/o Shri Heeralal, R/o Village Kundalpur, Police Station Sikar Sadar, District Sikar.
(Driver of Bus No. RJ 23-PA 4395)

-----Respondents/Non-Claimant No.1

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4449/2019

सुखाराम पुत्र श्री घीसाराम, 32 वर्ष, निवासी— बावड़ी, तहसील नावां, जिला नागौर, राज.।

-----प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री हीरालाल, निवासी— ग्राम कुण्डलपुर, पुलिस थाना सीकर सदर, जिला—सीकर।
(चालक रोडवेज बस सं. आर.जे-23-पी.ए-4395)
2. राजस्थान राज्य पथा परिवहन निगम, सीकर जरिए प्रबन्धक, सीकर डिपो, सीकर।
(पंजीकृत स्वामी रोडवेज बस सं. आर.जे-23-पी.ए-4395)
3. मैनेजिंग डायरेक्टर, आरएसआरटीसी, परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, सी-स्कीम, पुलिस थाना अशोक कुमार, जयपुर।
(पंजीकृत स्वामी रोडवेज बस सं. आर.जे-23-पी.ए-4395)

-----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. V.P. Mathur, Adv. (For RSRTC) Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv. (In S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4449/2019)
For Respondent(s)	:	Mr. Ripu Daman Singh Naruka, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**Order****08/12/2025**

1. प्रत्यर्थी/अपीलांत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (जिसे आगे 'अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी.' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019**, एवं दावाकर्ता-अपीलार्थी सुखाराम (जिसे आगे 'दावाकर्ता' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-4449/2019**, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जयपुर, जिला जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-644/2017 (807/2016), सुखाराम बनाम रामस्वरूप व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. दावाकर्ता सुखाराम द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 24,80,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल 8,89,562/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019**, विद्वान अधिकरण द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु तथा दावाकर्ता की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-4449/2019**, विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि मामले के तथ्यों के अनुसार मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठकर आये तथा मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल से उतरकर भागा, इस कारण मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर बस से टकरा गयी, जिससे दुर्घटना कारित हुई, इस कारण मामले में दावाकर्ता/आहत की योगदायी उपेक्षा मानी जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. का एक तर्क यह भी रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा केवलमात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर मृतक की मासिक आय 5,910/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित करते हुए अत्यधिक क्षतिपूर्ति राशि दावाकर्ता को दिलवाई गयी है, जिसे कम किया जावे। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019** स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. दावाकर्ता की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-4449/2019** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की आय 5,910/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना दावाकर्ता मजदूरी कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता के दाएं पैर में कारित हुई गंभीर चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता का दायां पैर चिकित्सक द्वारा काटा गया है, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य-वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में

पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर दावाकर्ता की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-4449/2019** स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019 :-

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा मुख्यतः यह तर्क लिया गया है कि मामले के तथ्यों के अनुसार मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठकर आये तथा मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल से उतरकर भागा, इस कारण मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर बस से टकरा गयी, जिससे दुर्घटना कारित हुई, इस कारण मामले में दावाकर्ता/आहत की योगदायी उपेक्षा मानी जावे। इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न नक्शा मौका प्रदर्श-6 के अवलोकन से प्रकट होता है कि नक्शा मौका में 'एक्स' स्थान पर दुर्घटना कारित होना दर्शित किया गया है। घटना मारोठ से सौलाया जाने वाली सड़क पर कारित हुई है। रोडवेज बस संख्या-आर.जे-पीए-4395 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) मारोठ से सौलाया की तरफ जा रही थी। दावाकर्ता/आहत कच्चे रास्ते से होकर सौलाया से मारोठ जा रहा था। नक्शा मौका में दावाकर्ता/आहत को कच्ची सड़क से मैन रोड पर आना दर्शाया गया है जो कि दावाकर्ता/आहत की सही बायीं दिशा है। इस प्रकार स्वयं प्रश्नगत वाहन बस के चालक द्वारा अपनी बस को गलत दिशा में ले जाया जाकर मोटरसाईकिल चालक जो कि अपनी सही बायीं दिशा में चल रहा था, उसके टक्कर मारी गयी है। इस प्रकार मामले में दावाकर्ता/आहत की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं मानी जा सकती है। अतः

अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से योगदायी उपेक्षा के संबंध में ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से एक अन्य आपत्ति यह ली गयी है कि विद्वान अधिकरण द्वारा केवलमात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर मृतक की मासिक आय 5,910/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित करते हुए अत्यधिक क्षतिपूर्ति राशि दावाकर्ता को दिलवाई गयी है, जिसे कम किया जावे। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 29.03.2016 की बताई गयी है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की आय वर्ष 2015 में प्रचलित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की गयी है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। इस प्रकार अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से ली गयी यह आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्त आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं होने के कारण उक्त अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

सिविल विविध अपील संख्या-4449 / 2019 :-

10. हस्तगत मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता सुखाराम के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता आहत के दायें पैर में कारित गंभीर चोटों के फलस्वरूप उसका दायां पैर काटा गया है, जिस कारण दावाकर्ता के शरीर पर कुल 60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

11. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 29.03.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना दावाकर्ता को 32 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मजदूरी कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु दावाकर्ता द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना दावाकर्ता को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए वर्ष 2015 में प्रचलित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 197/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मासिक आय 5,910/- रुपये निर्धारित की गई है। जबकि घटना वर्ष 2016 की बताई गयी है, ऐसी स्थिति में दावाकर्ता की आय वर्ष 2016 में प्रचलित

अकुशल श्रमिक की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 201/— रुपये प्रतिदिन, तदनुसार मासिक आय $201 \times 30 = 6,030/—$ रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना दावाकर्ता की आयु 32 वर्ष अंकित की गयी है। चूंकि वक्त घटना दावाकर्ता 32 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावाकर्ता की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 6,030/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,412/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत दावाकर्ता की कुल शुद्ध मासिक आय 8,442/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

12. हस्तगत दुर्घटना में दावाकर्ता के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता के दायें पैर में कारित हुई गंभीर चोटें के फलस्वरूप दावाकर्ता का दायां पैर चिकित्सक द्वारा काटा गया है, जिसके सामूहिक प्रभाव से दावाकर्ता के शरीर में कुल 60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 के अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि दावाकर्ता को मजदूर श्रेणी का व्यक्ति माना गया है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दावाकर्ता को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में दावाकर्ता को 60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने के आधार पर हम, दावाकर्ता को आय की क्षति भी 60 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार दावाकर्ता की निर्धारित मासिक आय 8,442/— रुपये का 60 प्रतिशत 5,065/— रुपये होता है जो दावाकर्ता को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना दावाकर्ता 32 वर्ष आयु का व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावाकर्ता को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु दावाकर्ता की आयु को दृष्टिगत रखते हुए

16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार दावाकर्ता को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $5,065 \times 12 \times 16 = 9,72,480/-$ रुपये होती है जो दावाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 10,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता को दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 60,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, दावाकर्ता को 60,000/- रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता को पौष्टिक आहार की मद में 10,000/- रुपये तथा अस्पताल आवागमन की मद में 10,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। मामले की दुर्घटना में कारित हुई चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता का दायां पैर काटा गया है, जिस कारण दावाकर्ता को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा एक्सीडेंट नागौर में कारित होना बताया गया है, जिस कारण दावाकर्ता को नागौर से जयपुर बार-बार आना जाना पड़ा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम, पौष्टिक आहार की मद में 25,000/- रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय की गयी राशि के मद में 20,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता को इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में 1,51,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा परिचारक/सहायक की मद में केवलमात्र 10,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता को दिलवाई गयी है जो कम है। जबकि मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता के आयी चोटों के फलस्वरूप उसका दायां पैर चिकित्सक द्वारा काटा गया है, जिसके फलस्वरूप दावाकर्ता अपने रोजमर्रा के

कार्यों को करने हेतु असमर्थ हो गया है तथा अपना शेष जीवन दूसरों के सहारे जीने हेतु बाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में हम, दावाकर्ता को परिचारक/सहायक की मद में 1,50,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. दावाकर्ता के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता का दायां पैर चिकित्सक द्वारा काटा गया है। अतः दावाकर्ता द्वारा भविष्य में कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) लगवाये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मद में हम, 50,000/- रुपये की राशि पृथक से दावाकर्ता को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. दावाकर्ता के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता कुल 180 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा 180 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने हेतु कोई राशि दावाकर्ता को नहीं दिलवाई गयी है। अतः 180 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में हम, 600/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 1,08,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता को पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

20. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता को इलाजरत अवधि के दौरान हुई तीन माह की आय की हानि के मद में 17,730/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। दावाकर्ता के कारित चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता लगभग छः माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। अतः छः माह की आय की हानि के मद में हम, 36,180/- रुपये की राशि दावाकर्ता को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

21. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता को शल्य चिकित्सा की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। जबकि दावाकर्ता/आहत के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके पांच ऑपरेशन किये गये हैं। अतः दावाकर्ता को प्रति ऑपरेशन 10,000/- रुपये की दर से कुल 50,000/- रुपये की राशि शल्य चिकित्सा की मद में दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

22. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	9,72,480 /—
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	60,000 /—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	60,000 /—
4.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000 /—
5.	यातायात व परिवहन की मद में	20,000 /—
6.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	1,51,000 /—
7.	परिचारक/सहायक की मद में	1,50,000 /—
8.	कृत्रिम अंग आदि पर व्यय राशि के मद में	50,000 /—
9.	180 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	1,08,000 /—
10.	छः माह आय की हानि के मद में	36,180 /—
11.	शल्य चिकित्सा की मद में	50,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		16,82,660 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		8,89,562 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		7,93,098 /—

23. तदनुसार अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019** को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा दावाकर्ता सुखाराम की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-4449/2019**, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्ता सुखाराम को **8,89,562 /— रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **16,82,660 /— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। दावाकर्ता द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

24. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्ता, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

25. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

26. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

27. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /19-20